रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 139] नई दिल्ली, बुधवार, मई 25, 2005/ज्येष्ठ 4, 1927
No. 139] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 25, 2005/JYAISTHA 4, 1927

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2005

विषय : 2010 में दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रमण्डल खेलों के आयोजन से सम्बन्धित कार्य में सहयोग के लिए मंत्रियों के समूह की वित्त उप-समिति का गठन।

सं. एफ. 70-29/2005-खेल-2.—राष्ट्रमण्डल खेल, 2010 का आयोजन करने संबंधी कार्य में सहयोग के लिए मंत्रियों के समूह के निर्देशन के अनुसरण में, राष्ट्रमण्डल खेल, 2010 से सम्बन्धित सभी वित्तीय मामलों पर कार्रवाई करने के लिए एतद्द्वारा मंत्रियों के समूह की उप-समिति का गठन किया गया है।

2. मंत्रियों के समूह की वित्त उप समिति की संरचना निम्नानुसार है:-

(1) श्री पी0 चिदम्बरम, वित्त मंत्री
(2) श्री सुरेश कलमाडी, अध्यक्ष, आयोजन समिति, राष्ट्रमण्डल खेल, 2010
(3) सचिव, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(4) सचिव, शहरी विकास विभाग
(5) मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार
(6) उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण
(7) महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण
(8) अपर सचिव, व्यय विभाग
(9) श्री निरंजन पंत, वित्तीय सलाहकार (जल संसाधन)-सदस्य सचिव

3. वित्तीय उप समिति द्वारा विचारार्थ सभी प्रस्ताव सदस्य सचिव अर्थात वित्तीय सलाहकार (जल संसाधन) के कार्यालय में प्राप्त किये जाएंगे जो उन्हें तैयार करेगा तथा उन प्रस्तावों को उप समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करेगा ।

4. वित्तीय उप समिति राष्ट्रमण्डल खेल, 2010 से सीधे जुड़े हुए सभी प्रस्तावों की जांच करेगी तथा अपनी सिफारिशों के साथ और 'सैद्धान्तिक रुप में' दर्शाये गए निम्न अनुमोदन को, मंत्रियों के समूह के समक्ष उन्हें विचारार्थ रखेगी ।

1. प्रस्तावों का विस्तृत लक्ष्य
2. कार्य का विस्तृत अनुमान, और
3. वित्त पोषण की पद्धति

5. सभी प्रस्तावों पर पंचवर्षीय बजट, प्रस्तावित नकद प्रवाह, वार्षिक योजना तथा बजट प्रावधान के आधार पर विचार किया जाएगा । प्रस्तावों पर तदर्थ आधार पर विचार नहीं किया जाएगा ।

6. मंत्रियों के समूह द्वारा 'सैद्धान्तिक रुप से 'प्रस्तावों के अनुमोदन के उपरान्त, सक्षम अधिकारी द्वारा विद्यमान वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसियों के अलग-अलग प्रस्तावों के लिए व्यय मंजूरी प्रदान की जाएगी ।

7. इसे केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री एवं मंत्रियों के समूह के अध्यक्ष द्वारा जारी किया जा रहा है ।

एस. कृष्णन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2005

Subject : Constitution of the Finance Sub-Committee of the GOM for Co-ordinating the work related to the organization of Commonwealth Games to be held in Delhi in 2010.

No F. 70-29/2005-SP-II.—In pursuance of directions of the GOM for co-ordinating work related to organization of Commonwealth Games 2010, a Finance Sub-Committee of the GOM is hereby constituted to deal with all financial matters relating to the Commonwealth Games 2010.

2. The composition of the Finance Sub-Committee of GOM is as follows:

(i) Shri P. Chidambaram, Minister of Finance.
(ii) Shri Suresh Kalmadi, Chairman, Organizing Committee, Commonwealth Games 2010.
(iii) Secretary, Ministry of Youth Affairs and Sports
(iv) Secretary, Department of Urban Development

(v) Chief Secretary, Govt. of Delhi.
(vi) Vice Chairman, DDA
(vii) Director General, Sports Authority of India
(viii) Additional Secretary, Department of Expenditure.
(ix) Shri Niranjan Pant, Financial Adviser(Water Resources)-Member Secretary.

3. All proposals for consideration by the Finance Sub-Committee shall be received in the office of Member-Secretary i.e. Financial Adviser (Water Resources), who shall process and put up the same for the consideration of the Sub-Committee.

4. The Finance Sub-Committee will examine all proposals dedicated and directly related to Commonwealth Games,2010 and place them, with its recommendations, before the GOM for consideration and "in principle" approval indicating.

i) Broad features of the proposals;
ii) Broad estimate of work; and
iii) Method of funding.

5. All proposals will be considered on the basis of a five year budget, projected cash flows, annual plan and budget provision. Proposals will not be entertained on ad-hoc basis.

6. Expenditure sanction for individual proposals of implementing agencies will be accorded by the competent authority as per the existing delegation of financial powers, after the proposals have been approved "in principle" by the GOM.

7. This issues with the approval of Union Minister for Human Resource Development and Chairman, GOM.

S. KRISHNAN, Jt. Secy

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.